संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2015 को विनिर्माता/विपणन कीटनाशी कंपनियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

संचिका नं0–9/उपा0 कीट0–53/2012

बैठक में उपस्थित :–

1. कृषि निदेशक, बिहार, पटना
2. संयुक्त निदेशक, (शष्य) उपादान, बिहार, पटना
3. संयुक्त निदेशक (पौ0सं0) बिहार, पटना
4. सहायक निदेशक (पौ0सं0)सर्वेलेन्स मुख्यालय, बिहार, पटना
5. ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यालय
6. उप निदेशक(पौ0सं0) पटना प्रमंडल, पटना।
7. सुजित नाथ मल्लिक, कनीय पौधा संरक्षण, पदाधिकारी, पटना
8. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9
9. अजय कुमार, सहायक, प्रशाखा–9
10. निर्भय कुमार सिंह, सहायक, प्रशाखा–9

बैठक की कार्यवाही :–

1. सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
2. संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0सं0) बिहार, पटना द्वारा विनिर्माता/विपणनकर्त्ता कम्पनियों द्वारा करीब–3–4 माह से व्यय प्रतिवेदन समय से प्राप्त नहीं होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए कम्पनियों को निश्चित समय पर व्यय प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)

3. विनिर्माता कम्पनी ऑरटेक्ट ऑरगेनिक्स द्वारा व्यय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें चेतावनी देते हुए निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें।

(अनुपालनः– मेसर्स ऑरगेनिक्स मुजफ्फरपुर कम्पनियों के प्रतिनिधि)

4. जिला स्तर पर किसान सलाहकार एवं किसानों के बीच कीटनाशी की बिक्री हेतु आवश्यक जानकारी के अभाव में फसल में सही दवा का उपयोग नहीं होने से फसल को क्षति होती हो। इस संदर्भ में किसान सलाहकार एवं किसानों को आत्मा के सहायोग से प्रशिक्षण दिलानें के संबंध में कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि के साथ विमर्श किया गया।

(अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधि)

5. कीटनाशी विपणन कम्पनी के गोदाम में Expired Pesticides पड़े रहते है इसका लेखा जोखा संबंधी सूचना नहीं रहने के कारण कम्पनी के प्रतिनिधियों से क्षोभ व्यक्त करते हुए Expired pesticides का Report तैयार कर भेजने हेतु संयुक्त निदेशक (पौ0सं0) बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

6. कीटनाशी विनिर्माण कम्पनी मेसर्स ऑरटेक्ट ऑरगेनिक्स के कार्यालय में कोई भी रेकॉड संधारित नहीं किये जाने के फलस्वरूप इसे जाँच किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः– मेसर्स ऑरगेनिक्स मुजफ्फरपुर कम्पनियों के प्रतिनिधि)